झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं॰—SUDA/AMRUT/BPA-Building Bye-laws/77/2016....................

झारखण्ड राज्य में प्रभावी झारखण्ड भवन उपविधि, 2016 एवं यथा संशोधित 2017 की कंडिका—29 के अनुसार Land Use में परिवर्तन करने की शक्तियाँ निहित है।

अतएव, झारखण्ड भवन उपविधि, 2016 की कंडिका—29 के अंतर्गत वर्णित प्रावधान को क्रियाशील करने के लिए निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :—

1. Mixed Land Use परिवर्तन करना हो तो निम्नवत् प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है :—

   1.1 झारखण्ड भवन उपविधि, 2016 के उप कंडिका—29.6 के अनुसार Mixed Land Use के लिए मूल Land Use कुल विकसित क्षेत्र का 2/3 होना आवश्यक है एवं परिवर्तित किए गए Land Use 1/3 होना आवश्यक है।

   1.2 मूल Land Use को आवेदन में दर्शाते हुए एवं परिवर्तित Land Use का कारण बताते हुए ऑनलाईन आवेदन किया जाएगा।

   1.3 उक्त आवेदन को Counter Clerk के द्वारा सभी दस्तावेजों/कागजातों के सत्यापन के पश्चात् नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा।

   1.4 तत्पश्चात् नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी के द्वारा तकनीकी जाँचोपरांत सत्यापन के पश्चात् आवेदन को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

2. मूल Land Use को पूर्ण रूप से दूसरे Land Use में परिवर्तित करते हुए उपयोग हेतु निम्नवत् प्रक्रिया के तहत स्वीकृति प्रदान की जाएगी :—

   2.1 झारखण्ड भवन उपविधि, 2016 की कंडिका—29 के तालिका—4 के अनुसार यदि Master Plan में दर्शाया गया विनियमित क्षेत्र में अवस्थिति Land Use के परिवर्तन/परिवर्धन हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा।

   2.2 प्राप्त आवेदन को Counter Clerk के द्वारा सभी दस्तावेजों/कागजातों के सत्यापन के पश्चात् नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा।

   2.3 तत्पश्चात् नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी के द्वारा तकनीकी जाँचोपरांत सत्यापन के पश्चात् आवेदन को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

3. झारखण्ड भवन उपविधि, 2016 की कंडिका—29 उपकंडिका—29.5 के अनुसार Urban Agriculture Zone में नियोजित टाउनशिप अथवा ग्रुप हाउसिंग विकसित करने की अनुमति निम्नांकित प्रक्रिया के तहत की जाएगी :—

   3.1 आवेदित भूखण्ड उपरोक्त बिन्दुओं को प्राप्त करता है तो Counter Clerk के द्वारा सभी दस्तावेजों/कागजातों का जाँच करने के पश्चात् नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा।

6498
17/10/17

3.2 तत्पश्चात् नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी के सत्यापन के पश्चात् उक्त आवेदन को निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग को अग्रसारित किया जाएगा।

3.3 निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा TCPO को अग्रसारित किया जाएगा। TCPO, नगर विकास एवं आवास विभाग के सत्यापन के उपरांत निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करायेगा। इस क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग की अनुमति के उपरांत नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी द्वारा आवेदन को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

16.10.17

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/BPA-Building Bye-laws/77/2016....6498.... राँची, दिनांक–17/10/17

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ।

2. प्रकाशनोपरान्त इसकी 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

16.10.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/BPA-Building Bye-laws/77/2016....6499.... राँची, दिनांक–17/10/17

प्रतिलिपि– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

16.10.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/BPA-Building Bye-laws/77/2016....6498.... राँची, दिनांक–17/10/17

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/अपर सचिव, सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव, सभी अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन/प्रबंध निदेशक, जुडको लि०, राँची/नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी, सभी शहरी स्थानीय निकाय झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.10.17

सरकार के प्रधान सचिव।